

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जबलपुर

NCA/19

क्रमांक/ 908/सा.यो./जजाकावि/2019  
प्रति,

जबलपुर दिनांक/17/7/19

जिला शिक्षा अधिकारी  
जबलपुर

विषय:- साईकिलों का प्रदाय वर्ष 2019-20 ।

संदर्भ:- 1.आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/शि.शा.  
/107/2018/22578 दिनांक 08.10.2018

2.पत्र क्रमांक/16132/दिनांक 19.06.2019

3.आयुक्त अनुसूचित जाति म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/4518 दिनांक 04.09.2013

---:000:--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । जिसके द्वारा पात्र बालिकाओं को राशि प्रदाय किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये योजनांतर्गत कक्षा 11वीं में अध्यनरत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की ऐसी बालिकाएँ जिन्हें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 9वीं में साईकिल प्रदाय नहीं की गई है । कक्षा 11वीं में अन्य ग्राम की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में प्रवेश लेने पर अन्य ग्राम जाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग की दर अनुसार बैंक खाते में सायकिलों का प्रदाय योजना की राशि रु0 3192/- दी जाना है ताकि छात्रायें अपनी मनपसंद की साईकिल क्रय कर सकें ।

अतएव निम्नलिखित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अतिशीघ्र भेजने का कष्ट करें ।

अनुसूचित जाति/जन जाति बालिकाओं की जानकारी प्रपत्र										
क्र	छात्रा एवं पिता का नाम	जाति	कक्षा	खाता क्रमांक	आई.एफ.एस.सी. कोड क्रमांक	आधार नंबर	बैंक का नाम	मोबाइल नंबर	स्कूल का नाम	निवास स्थान से शाला की दूरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

उक्त जानकारी प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा में भेजना सुनिश्चित करें ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को योजना का लाभ दिया जा सके ।

सहायक आयुक्त  
जनजातीय कार्य विभाग  
जबलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर

पृ0क्रमांक/नि:शुल्क सायकिल/2019/7817

जबलपुर दिनांक:- 14/08/2019

- 1 आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल को सूचनार्थ ।
- 2 कलेक्टर जिला जबलपुर को सूचनार्थ ।
- 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला जबलपुर को सूचनार्थ ।
- 4 सयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर को सूचनार्थ ।
- 5 समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य उ0मा0वि0/हाईस्कूल जिला जबलपुर को निर्देशित किया जाता है, कार्यालय कलेक्टर (जनजाति कार्य विभाग) जबलपुर का पत्र क्रमांक/908/सा.यो./जजाकावि/2019 जबलपुर दिनांक 11.07.2019 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, एवं निर्धारित प्रपत्र में जानकारी तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, जिससे जानकारी सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग जबलपुर को भेजी जा सके, अन्यथा कि स्थिति में पूर्ण रूप से आप स्वयं जबावदार होंगे ।

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला जबलपुर